



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई

Sanjay B. Gawai

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

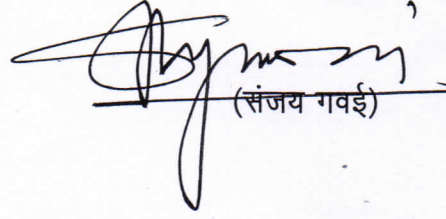
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015 1436

दिनांक: 07.07.2015

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 23.06.2015 को सम्पन्न 23^{वीं} बैठक की मद संख्या 06 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार सत्र 2015-16 से क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता पर संचालित 'सरल हिंदी में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (बांग्ला भाषियों के लिए)' एवं 'सरल बांग्ला में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (हिंदी भाषियों के लिए)' पाठ्यक्रम को 'सरल हिंदी शिक्षण में डिप्लोमा' तथा 'सरल बांग्ला शिक्षण में डिप्लोमा' में परिवर्तित करने तथा उक्त पाठ्यक्रम के प्रारूप को अनुमति प्रदान की जाती है।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिषद)
5. परीक्षा प्रभारी
6. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल